

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 05/2015

संस्थित दिनांक-30.10.06

फाइलिंग नंबर-230303000782006

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

1. रामअवतार पुत्र नाथूराम शर्मा उम्र 35 साल
निवासी कबीर कॉलोनी नदी पार टाल थाना
मुरार ग्वालियरउपस्थित आरोपी
2. मेहताबसिंह लोधी पुत्र रामदीन लोधी उम्र 30 साल
निवासी मकान नंबर-554 ठाठीपुर मुरार जिला
ग्वालियरफरार आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक
आरोपी रामअवतार द्वारा श्री के.सी. उपाध्याय अधिवक्ता ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 14 अक्टूबर 2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्त रामअवतार के विरुद्ध धारा 399, 400 एवं 402 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक 09.07.06 को 17.35 बजे पिपहडी हेट तिराहा गोहद चौराहा थाना क्षेत्र जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में, बस लूटने की तैयारी कर विनिर्दिष्ट अपराध किया एवं अभ्यास्त: डकैती करने के प्रयोजन से सह अभियुक्त होकर उक्त टोली का सदस्य था, पिपाहडी हेट तिराहे पर बस की लूट कारित करने के उद्देश्य से एकत्रित होकर विनिर्दिष्ट अपराध कारित किया ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रकरण के अन्य सह अभियुक्तगण भारतेन्दु उर्फ बंटी कटारे एवं मनीष राठौर फौत हो चुके हैं तथा आरोपी सूबेदार का मामला दिनांक-31/07/2015 को निराकृत हो चुका है और आरोपी मेहताबसिंह लोधी स्थाई रूप से फरार घोषित किया गया है ।

3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि थाना प्रभारी विजय सिंह तोमर को दिनांक 09.07.06 को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि पांच बदमाश हथियारबंद होकर गोहद से सुनारपुरा जाने वाली बस में डकैती डालकर पिपाहडी हेट तिराहा पर बस लूटने वाले हैं। मुखबिर की सूचना से फोन से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा एस0डी0ओ0पी0 मेहगांव ने मौके पर तुरंत पहुंचकर तश्दीक कर कार्यवाही करने हेतु उसे आदेश दिया गया। मुताबिक आदेश थाने पर उपस्थित बल एच0सी0 पचौरी, तोमर, आरक्षक रामनिवास, केशव, भारतेन्दु, अवधेश, जगराम, विनोद के साथ साक्षी लल्लू मेहतर को साथ लेकर पिपाहडी हेट तिराहा के पास पहुंचकर देखा तो संदेहियों की एक मारुति कार 800 सिल्वर कलर की गोरमी के पास खड़ी मिली। तथा पांच व्यक्ति आसपास की झाड़ियों में छुपे हुए हाथों में हथियार लिये दिखे। वह तथा हमराह स्टाफ छिपते हुए बदमाशों के पास पहुंचे तथा बदमाशों को रोका तो उन्होंने भागने का प्रयास किया जिनमें से चार बदमाशों को मौके पर मय हथियार व कारतूसों के दबोचा तथा एक बदमाश भाग गया। पकड़े गये बदमाशों के नाम पते पूछे तो अपने नाम क्रमशः भारतेन्दु उर्फ बंटी कटारे निवासी सीताराम की लावन गोरमी, रामअवतार पुत्र नाथूराम शर्मा निवासी कबीर कॉलोनी मुरार, मनीश राठौर पुत्र वीरेन्द्र राठौर निवासी कुम्हरपुरा चौराहा ठाठीपुर एवं मेहताब सिंह लोधी पुत्र रामदीन लोधी निवासी 554 ठाठीपुर मुहल्ला मुरार बताया। भागे हुए बदमाश का नाम पता पूछा तो सभी ने उसका नाम सूबेदार दण्डोतिया उम्र 29-20 साल निवासी ग्वालियर का बताया। जामा तलाशी लेने पर आरोपी बंटी कटारे के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा दो जिन्दा कारतूस, रामअवतार के कब्जे से एक तलवार, मनीश राठौर के कब्जे से (पेन्ट के दाहिनी तरफ) एक 315 बोर का कट्टा एक जिन्दा कारतूस, मेहताबसिंह लोधी के कब्जे से एक 315 बोर का कट्टा तथा दो जिन्दा कारतूस मिले जिन्हें समक्ष गवाहान विधिवत जप्त किया गया। आरोपीगण से मौके पर छिपने का कारण पूछा तो हथियारों की नोक पर गोहद तरफ से आने वाली बस में डकैती डालना बताया। भागे हुए बदमाश सूबेदार दण्डोतिया की तलाश की परन्तु वह नहीं मिला। आरोपीगण का उक्त कृत्य धारा-399, 400 एवं 402 भा0द0वि0 एवं एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय पाया जाने से विधिवत आरोपीगण को प्र0पी0-6 लगायत प्र0पी0-8 के अनुसार गिरफ्तार किया गया एवं उनसे जप्ती प्र0पी0-9 लगायत प्र0पी0-12 तैयार की गई। तथा उक्त अपराध में प्रयोग की जाने वाली मारुति कार क्रमांक-एच0आर0-18 बी-6522 को भी मौके पर गाड़ी संबंधी कागजात न होने से प्र0पी0-13 के अनुसार जप्त किया गया। तथा आरोपीगण एवं जप्तशुदा आयुध एवं कार को थाने लाया गया।
4. थाने पर आकर आरोपीगण के विरुद्ध अप.क्र.-118/06

धारा-399, 400, एवं 402 भा0द0वि0, 25/27 आयुध अधिनियम एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट का अपराध प्र0पी0-14 पंजीबद्ध किया गया। एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

5. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त रामअवतार सिंह के विरुद्ध धारा 399, 400 एवं 402 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। आरोपी की ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या दिनांक 09.07.06 को 17.35 बजे पिपाडी हेट, तिराहा गोहद चौराहा थाना क्षेत्र जिला भिण्ड में, जहाँ दिनांक 20/01/2000 से एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट प्रभावशील था, बस लूटने की तैयारी कर विनिर्दिष्ट अपराध कारित किया ?
2. क्या उक्त सुसंगत घटना दिनांक समय व स्थान पर ही आरोपी रामअवतार दण्डोतिया अभ्यस्तः डकैती करने के प्रयोजन से सह अभियुक्त होकर उक्त टोली का सदस्य था?
3. क्या उक्त सुसंगत घटना दिनांक समय व स्थान पर ही आरोपी ने पिपाहडी हेट तिराहा पर बस की लूट कारित करने के उद्देश्य से एकत्रित होकर विनिर्दिष्ट अपराध कारित किया ?

—::—निष्कर्ष के आधार ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 1, 2 व 3 का निराकरण

7. उपरोक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
8. अभियोजन की ओर से प्रकरण में बृजभूषण पचौरी (अ0सा0-1), मुन्नालाल (अ0सा0-2), श्रीकृष्णसिंह (अ0सा0-3), विजयसिंह तोमर (अ0सा0-4) अनिल सोनी (अ0सा-05), रामसेवक

(अ0सा-06), ऋषिकेश शर्मा (अ0सा-07) की साक्ष्य कराई है। आरोपी की ओर से बचाव साक्ष्य में किसी भी साक्षी की साक्ष्य नहीं करायी गयी है तथा अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी.-1 लगायत-प्रदर्श पी.-18 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं।

9. अभियोजन कथानक मुताबिक प्र0पी0-1 के रोजनामचासान्हा पर दर्ज सूचना के आधार पर बस डकैती की सशर्त बदमाशों के द्वारा पिपाहडी हेट तिराहे पर डकैती की योजना की सूचना से एडीशनल एस0पी0 एवं एस0डी0ओ0पी0 मेहगांव को अवगत कराते हुए एस0डी0ओ0पी0 मेहगांव के निर्देश पर थाना प्रभारी गोहद चौराहा विजयसिंह तोमर को प्र0पी0-2 के मुताबिक दिये गये निर्देश के आधार पर प्र0पी0-3 मुताबिक मय पुलिस बल के उपनिरीक्षक विजयसिंह तोमर के द्वारा खानगी की जाना और मौके पर से सूचना की तश्दीक करते हुए मारुति कार क्रमांक-एच0आर0-18 बी-6522 के पास खड़े बदमाशों की घेराबंदी कर पकड़ने पर से मामला पंजीबद्ध किया गया था। मौके पर बंटी उर्फ भारतेन्दु, रामअवतार, मनीश व रामहेत को मय शस्त्रों के पकड़ा गया था जिनके द्वारा आरोपी सूबेदार दण्डोतिया का नाम भी बताया जो मौके से फरार हुआ। उसके संबंध में पूर्व में प्रकरण निराकृत हो चुका है। इससे प्र0पी0-4 मुताबिक एवं प्र0पी0-14 अनुसार कोई भी वस्तु बाद में भी बरामद नहीं हुई है। इस तरह से विचाराधीन आरोपी रामअवतार शर्मा को अभियोजित किया गया है। वह विधिक रूप से प्रमाणित होता है या नहीं और युक्तियुक्त संदेह के परे विरचित आरोप प्रमाणित होते हैं या नहीं।

10. घटना के स्वतंत्र साक्षीगण लल्लू मेहतर एवं मुन्नालाल बताये गये हैं जिनमें से लल्लू मेहतर अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया है और मुन्नालाल अ0सा0-2 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने अभियोजन कथानक का कोई भी समर्थन नहीं किया है। हालांकि वह अन्य सह अभियुक्तगण मेहताब, मनीश, रामौतार और भारतेन्दु उर्फ बंटी के गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-5 लगायत प्र0पी0-8 और जप्ती पत्रक प्र0पी0-9 लगायत प्र0पी0-12 एवं घटनास्थल से लावारिस अवस्था में प्राप्त हुई मारुति 800 क्रमांक-एच0आर0-18 बी-6522 को प्र0पी0-13 के अनुसार जप्त करना बताया है। उक्त साक्षी ने प्र0पी0-5 लगायत प्र0पी0-13 पर अपने हस्ताक्षर अवश्य स्वीकार किये हैं किन्तु जप्ती व गिरफ्तारी का कोई समर्थन नहीं किया है और यह कहा है कि जब उसके हस्ताक्षर कराये गये थे तब कोई भी आरोपी उपस्थित नहीं था। तथा पुलिस ने कोई भी दस्तावेज पढ़कर नहीं सुनाया था और थाने पर ही उसके हस्ताक्षर करा लिये थे। उसके सामने किसी से कोई हथियार भी जप्त नहीं हुआ। हालांकि उक्त साक्षी विचाराधीन आरोपी से संबंधित साक्षी भी नहीं है

किन्तु मूल कथानक का भी वह समर्थन नहीं करता है। इस तरह से विचाराधीन आरोपी के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आई है। इसलिये अन्य परीक्षित साक्षी जो कि शासकीय सेवक होकर पुलिस कर्मी हैं, उनकी अभिसाक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

11. पटवारी रामसेवक अ0सा0-6 के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने नायब तहसीलदार के आदेशानुसार दिनांक 31.08.06 को घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र0पी0-16 तैयार करना बताया है जो भी औपचारिक साक्षी है और उसके अधिक विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।
12. प्रकरण के सर्वाधिक महत्व के साक्षी उपनिरीक्षक विजयसिंह तोमर अ0सा0-4 है जिसने पुलिस केसडायरी को देखकर अपनी अभिसाक्ष्य देते हुए दिनांक 09.07.06 को थाना गोहद चौराहा पर थाना प्रभारी की हैसियत से पदस्थ रहना बताते हुए उक्त दिनांक को मुखबिर से सूचना प्राप्त होना बताया है जिसमें यह सूचना प्राप्त हुई थी कि हथियारबंद बदमाश मारुति कार क्रमांक-एच0आर0-18 बी-6522 पिपाहडी हेट तिराहे पर बस लूटने वाले हैं जिससे उसने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया था और एस0डी0ओ0पी0 द्वारा उसे मौके पर जाकर कार्यवाही करने का निर्देश दिये गये थे जिस पर वह प्र0आर0 बृजभूषण पचौरी, श्रीकृष्ण तोमर, आरक्षक भारतेन्दु, विनोद, रामनिवास, केशव व जगराम आदि को मय पुलिस वाहन के आर्म्स एवं एम्बुनिशन लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा था और उसने वहाँ मारुति कार खड़ी देखी थी। उसी के पास झाड़ियों में पांच बदमाश हथियारबंद छुपे हुए थे जिनको पकड़ा गया था तो भागने का प्रयास करने पर चार बदमाशों को पकड़ लिया था। एक भाग गया था। पकड़े गये आरोपीगण से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने अपने नाम भारतेन्दु उर्फ बंटी कटारे, विचाराधीन आरोपी रामअवतार, मनोज राठौर, मेहताब लोधी बताये थे और उन्होंने ही भागने वाले का नाम सूबेदार दण्डोटिया बताया था। पकड़े गये आरोपी रामौतार उर्फ रामअवतार शर्मा के कब्जे से एक तलवार, भारतेन्दु उर्फ बंटी व मेहताब के कब्जे से 315-315 बोर के देशी कट्टे व दो दो जिन्दा कारतूस, मनीश राठौर के कब्जे से 315 बोर का कट्टा व एक जिन्दा कारतूस जप्त करना बताया है जिनका गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-5 लगायत 8 व जप्ती पत्रक प्र0पी0-9 लगायत 12 मौके पर ही तैयार करना तथा घटनास्थल से मारुति कार क्रमांक-एच0आर0-18 बी-6522 को प्र0पी0-13 के अनुसार जप्त करना बताया है।
13. उक्त साक्षी ने आगे यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि मौके की कार्यवाही उपरान्त वे थाने वापिस आये थे और प्र0पी0-14 की उसने

कायमी की थी तथा बाद में अनुसंधान में प्र०आर० बृजभूषण पचौरी व लल्लू मेहतर के कथन भी लिये थे। उक्त साक्षी से पैरा-13 में पूछे जाने पर उसने इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी को गलत रूप से आरोपी बनाया गया है। इस बात से भी उसने इन्कार किया है कि घर से पकड़कर आरोपी बनाया है और मनमाने तरीके से कार्यवाही की है। उक्त साक्षी की तरह ही प्र०आर० बृजभूषण पचौरी अ०सा०-1, प्र०आर० श्रीकृष्णसिंह अ०सा०-3 के द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है। बृजभूषण पचौरी अ०सा०-1 ने प्र०पी०-1 लगायत 4 के रोजनामचासान्हा की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्र०पी०-1 सी लगायत प्र०पी०-4 सी के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है। उसने पैरा-6 में यह कहा है कि वह सीधे ही घटनास्थल पर पहुंच गये थे, कोई पार्टियाँ नहीं बनाई थीं। यह भी स्वीकार किया है कि लल्लू मेहतर थाने पर साफ सफाई करने आता है उसे थाने से ही साथ ले गये थे। लल्लू के अलावा अन्य किसी स्वतंत्र साक्षी को साथ नहीं ले गये थे। जबकि प्र०पी०-5 लगायत प्र०पी०-13 की कार्यवाही का मुन्नालाल को भी साक्षी बनाया गया है। हालांकि मुन्नालाल अ०सा०-2 ने कोई समर्थन नहीं किया है। उसे यह जानकारी भी नहीं है कि मारुति कार का क्या नंबर था और पकड़ने के बाद वह सीधे थाने आये थे। थाने पर लिखापट्टी की गई थी। जबकि प्र०पी०-5 लगायत प्र०पी०-13 के मुताबिक मौके पर ही उक्त दस्तावेजों की लिखापट्टी होना बताई गई है। वह आरोपीगण से तीन कट्टे व पांच कारतूस जप्त होना बताता है। लेकिन कट्टा कैसे थे, यह उसे ध्यान नहीं है और वह यह भी नहीं बता सकता है कि आरोपीगण को पिपाहड़ी से कितनी दूरी पर, किस स्थान पर, किसके सामने पकड़ा गया था जिसका वह यह कारण बताता है कि उसके द्वारा किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया था, घर से आरोपीगण को पकड़कर लाने से वह अवश्य इन्कार करता है।

14. इस प्रकार से मौके की लिखापट्टी के संबंध में उक्त प्र०आर० बृजभूषण पचौरी अभियोजन के कथानक से भिन्न कथन करता है। तथा उसके अभिसाक्ष्य में यह बात भी नहीं आई है कि पकड़े गये आरोपीगण के द्वारा विचाराधीन आरोपी रामअवतार का भी साथ होना बताया गया था। वह केवल इतना बताता है कि चार बदमाशों को पकड़ लिया था, एक भाग गया था। ऐसा ही श्रीकृष्ण अ०सा०-3 भी कहता है। जिन दस्तावेजों पर श्रीकृष्ण हस्ताक्षर करना बताता है, उसे पढ़कर सुनाये जाने का वह समर्थन नहीं करता है जिसका वह यह कारण बताता है कि उसके सामने ही लिखापट्टी हुई थी, उसे क्या पढ़कर सुनाते और वह मौके पर थाने से शाम 5.50 बजे रवाना होना, 20 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंच जाना तथा आठ लोगों के साथ जाना बताते हुए यह कहता है कि उन्होंने दो तरफ से घेरकर पकड़ा था, दो पार्टियाँ बनाई थीं जो वह मौखिक बताता है।

लिखापट्टी में नहीं बनाई थीं। जबकि बृजभूषण पचौरी कोई पार्टी बनाने की बात का समर्थन नहीं करता है। ऐसे में प्र0पी0-4 सी व प्र0पी0-14 में रामअवतार के उल्लेख के बाबत उक्त साक्षियों के कथनों में सुदृढ साक्ष्य नहीं है।

15. मौके की कार्यवाही करने वाले उपनिरीक्षक विजयसिंह तोमर अ0सा0-4 जिसके द्वारा प्र0पी0-4 सी एवं प्र0पी0-14 की एफ0आई0आर0 दर्ज की गई जिसने इस बात से तो इन्कार किया है कि उसने आरोपी बंटी कटारे से जीप मांगी थी और उसने जीप देने से मना कर दिया, इस कारण झूठा फंसा दिया। उक्त साक्षी के द्वारा मुखबिर की सूचना शाम 5.35 बजे मिलना फिर वरिष्ठ अधिकारियों को फोन से अवगत कराना फिर नौ लोगों का घटनास्थल की ओर मय फोर्स खाना होना बताया है। वह भी मुन्नालाल के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं करता है कि जिसे मौके की कार्यवाही का साक्षी बनाया गया है, लल्लू मेहतर को अवश्य थाने से ले जाना कहता है जो परीक्षित नहीं हुआ है। उक्त साक्षी के पैरा-11 मुताबिक पिपाहड़ी हेट के चारों तरफ मकान बने हुए हैं। जबकि श्रीकृष्ण अ0सा0-3 के पैरा-6 मुताबिक आसपास बस्ती नहीं है न मकान बने हैं। थोड़ी दूरी पर श्यामपुरा वाले पण्डित जी का मकान अवश्य बताता है।

16. इन विरोधाभाषों से मौके पर वास्तविक कार्यवाही संदेहास्पद हो जाती है क्योंकि अ0सा0-4 के पैरा-9 मुताबिक मौके पर पहुंचकर पार्टियों नहीं बनाई थीं। सभी लोगों ने एक ही पार्टी में रहकर पकड़ा था। उसके मुताबिक आरोपीगण ने भागने का प्रयास नहीं किया था। न ही किसी आरोपी ने कोई फायर किये जो कट्टा लिये थे। इस प्रकार इस संबंध में भी विसंगति है कि मौके पर वास्तव में कोई कार्यवाही की गई। उक्त साक्षी का मौके से भाग जाना कथानक में कहा गया किन्तु विजयसिंह तोमर अ0सा0-4 ने पकड़े गये अभियुक्तों में से किसी का भी कोई धारा-27 साक्ष्य विधान के अंतर्गत मेमोरेण्डम कथन इस आशय का तैयार नहीं किया गया कि मौके से जो व्यक्ति भाग गया था, वह पूर्व से निराकृत आरोपी सूबेदार दण्डोतिया था। ऐसी स्थिति में अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य से आरोपी जितेन्द्र दण्डोतिया का अभियोजन द्वारा बताई गई बस डकैती की योजना में शामिल हो जाना संदिग्ध हो जाता है।

17. अन्य परीक्षित साक्षी आर्म्स क्लर्क अनिल सोनी अ0सा0-3 का कथन विचाराधीन आरोपी से संबंधित है इसलिये उसके विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। तथा ऋषिकेश शर्मा अ0सा0-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 09.07.06 को थाना गोहद चौराहा पर ए0एस0आई0 के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए यह कहा है कि थाना प्रभारी विजय सिंह तोमर थे जिनके द्वारा उसे अप0क0-118/06 धारा-399, 402 भा0द0वि, 25/27 आयुध

अधिनियम एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट की केसडायरी अग्रिम विवेचना के लिये दी गई थी। और उसने दिनांक 21.07.06 को केसडायरी प्राप्त होने पर उसी दिन थाना प्रभारी विजय सिंह तोमर की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-17 तैयार किया था। जबकि प्र0आर0 बृजभूषण पचौरी अ0सा0-1 पैरा-9 में घटना दिनांक को ही पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा बनाया जाना कहता है। घटना दिनांक 09.07.06 की है। यह भी एक ही विभाग के पुलिस अधिकारी कर्मचारी होते हुए दोनों साक्षियों के मध्य उत्पन्न विरोधाभास महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जब मामला केवल पुलिस साक्षियों पर आधारित हो तो वहाँ पुलिस साक्षियों की अभिसाक्ष्य प्रत्येक प्रकार के संदेहों से परे होना चाहिए तब उन पर दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है। जैसा कि न्याय दृष्टांत **विनोद कुमार शुक्ला विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 1999 पार्ट-2 एम0पी0जे0आर0 पेज-247 के पद-12** में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है।

18. अ0सा0-7 के द्वारा विवेचना में आरक्षक रामनिवास, प्र0आर0 श्रीकृष्ण आरक्षक जगरामसिंह एवं साक्षी मुन्नालाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध करना बताया गया है जिनमें से मुन्नालाल का कोई समर्थन नहीं है और उक्त विवेचक द्वारा लिये गये कथनों में से केवल प्र0आर0 श्रीकृष्ण परीक्षित हुआ है जिसका कथन भी उत्पन्न विरोधाभासों को देखते हुए विश्वसनीय नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचक की विवेचना औपचारिक स्वरूप की हो जाती है। तथा विचाराधीन आरोपी रामअवतार शर्मा की उपस्थिति बताई गई घटना में बस डकैती की योजना में शामिल होना पुष्ट नहीं होता है। और आरोपी रामअवतार का भी कोई मेमोरेण्डम कथन घटना में संलिप्तता संबंधी नहीं लिया गया है। ऐसे में केवल विरोधाभासी साक्षियों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि घटना में आरोपी रामअवतार शामिल था और अभिलेख पर इस तथ्य के संबंध में कोई स्वतंत्र और विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद नहीं है कि मौके पर विचाराधीन आरोपी रामअवतार शर्मा घटना में शामिल था, जिससे अभियोजन द्वारा बतायी गयी घटना युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित होती है।

19. अतः ऐसी स्थिति में विचाराधीन आरोपी रामअवतार के विरुद्ध संपूर्ण मामला संदिग्ध है और युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी रामअवतार दिनांक 09.07.06 को पिपाहड़ी हेट तिराहे पर जिला भिण्ड में एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के प्रभावी रहते हुए बस डकैती की तैयारी कर अपराध को कारित करने की घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य अभियुक्तगण के साथ सम्मिलित रहा। ऐसे में उसके विरुद्ध कोई भी आरोप संदेह

से परे प्रमाणित नहीं होता है इसलिये संदेह का लाभ देते हुए आरोपी रामअवतार को धारा-399, 400 एवं 402 भा0द0वि0 सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0वी0पी0के0 एक्ट के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।

20. आरोपी रामअवतार न्यायिक निरोध से पेश हुआ है अतः उसके जेल वारण्ट पर नोट लगाया जावे कि आरोपी को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया जा चुका है अतः यदि अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जावे।

21. प्रकरण में अभी अन्य सह अभियुक्त मेहताबसिंह लोधी फरार है, अतः प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में कोई अंतिम निराकरण नहीं किया जा रहा है।

22. निर्णय की एक प्रति डी0एम0 भिण्ड की ओर भेजी जावे।

दिनांक: 14 अक्टूबर 2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)